

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक सं०-04/पौ०सं०सर्वे०-टा०वि०यो०-94/18-19 583 (पौ०सं०)/कृ० पटना दिनांक, 29-06-2018
प्रेषक

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(1) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित
1 पृष्ठ।

(-1) द्वारा - वित्त विभाग।

टाल विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2018-19 में 89.88444 लाख (नवासी लाख अठारसी हजार चार सौ चौवालीस) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।


निदेशानुसार टाल विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2018-19 में 89.88444 लाख (नवासी लाख अठारसी हजार चार सौ चौवालीस) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन इसके अधीन तत्काल 65.086 लाख (पैंसठ लाख आठ हजार छः सौ) रूपया की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने एवं वातावरण की सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बिहार सरकार द्वारा टाल विकास योजना समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम अपनाया गया है, ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि उपज की गुणवत्ता एवं पर्यावरण संरक्षण आदि में सुधार हो सके। यह योजना राज्य के 6 जिलों के टाल क्षेत्रों में दलहनी फसलों पर चलाई जा रही है। टाल क्षेत्र में रबी दलहन ही महत्वपूर्ण फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है, पूर्व वर्षों की भाँति वित्तीय वर्ष 2018-19 में टाल क्षेत्र के प्रत्येक प्रखंडों में दलहनी फसल पर 4 कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (IFPS) चलायी जायेगी। बाढ़ का पानी टाल क्षेत्र से निकलने के बाद सितम्बर-अक्टूबर में खरपतवार की व्यापक समस्या हो जाती है। खरपतवार से निदान हेतु कृषकों को व्यापक रूप से खरपतवारनाशी का अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा, साथ ही दलहनी फसलों पर विशेषकर मसूर के जाला कीटा तथा उखड़ा रोग/हरदा रोग प्रबंधन हेतु रसायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी भी अनुदानित दर पर कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे दलहनी फसल उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हो सके।

3. कार्यक्रम का उद्देश्य:-

- कम खर्च में अधिकतम फसल उत्पादन कर किसानों के शुद्ध लाभ में वृद्धि करना।
- विष रहित खाद्यान्न का उत्पादन कर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।
- गानव जीवन में रसायनों के प्रयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करना।
- पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना ताकि इकोलोजिकल संतुलन बना रहे।
- फसल सुरक्षा में रासायनिक कीटनाशियों को अंतिम शस्त्र के रूप में प्रयोग करना।
- प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारनाशियों के उपयोग से दलहन उत्पादकता को बढ़ाना।

4 टाल विकास योजना अन्तर्गत समेकित कीट प्रबंधन प्रत्यक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में दलहनी फसल उत्पादन में कृषक क्षेत्र पाठशाला की सफल भूमिका रही है। कृषक क्षेत्र पाठशाला का उद्देश्य कृषकों द्वारा अपने फसलों के कृषि परिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषण करना एवं तदनुसार फसलों पर



विभिन्न जैविक एवं अजैविक कारकों के प्रभाव के अनुसार निर्णय लिया जाना है। यह प्रशिक्षण चौदह सत्र में सम्पन्न होगा।

5. टाल विकास योजना का वर्ष 2018-19 में 89.88444 लाख (नवासी लाख अठासी हजार चार सौ चौवालीस) रुपये की लागत पर कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना का मदवार संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

मद	सहायता दर	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹० में)
कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (FFS)	26700.00 / FFS	116	30.972
दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण	450.00 / प्रति व्यक्ति प्रति दिन	350	3.15
अनुदानित दर पर खरपतवारनाशियों का वितरण / 50% मूल्य का अधिकतम 500 /- प्रति (हे०)	500 /- प्रति (हे०) अधिकतम	10800 (हे०)	54.00
कार्यालय व्यय (cont.)	तीनों मद का 2% की दर से	-	1.76244
			89.88444

6. तत्काल निकासी योग्य राशि 65.086 लाख रुपये की निकासी की जायेगी तथा योजना हेतु शेष आवश्यक राशि 24.79844 लाख रु प्रथम अनुपूरक आगणन में प्राप्ति पश्चात निकासी की जा सकेगी।

7. इस योजना का वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य का विवरणी अनुसूची-I एवं II पर संलग्न है। यह योजना रबी दलहनी फसल पर चलाई जायगी।

8. टाल विकास योजना 2018-19 राज्य के छः टाल क्षेत्र से अच्छादित जिलों यथा: पटना, नालन्दा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय एवं शेखपुरा में चलाये जायेंगे।

9. कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला

• उपरोक्त जिलों में प्रत्येक टाल क्षेत्र के 29 प्रखण्डों में चार एफ० एफ० एस० की दर से कुल 116 एफ० एफ० एस० चलाये जायेंगे।

• कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (FFS) की अनुमान्य दर 26700 /- रुपये है। 14 सप्ताह / सत्र तक रबी दलहनी फसलों में चलने वाले एफ० एफ० एस० में 30 कृषक को 5 प्रगतिशील कृषक / NGO / AEO के साथ AESA (कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण) के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा। उक्त योजना फसलों पर कीट व्याधि से बचाव के साथ पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है। प्रशिक्षुओं के चुनाव में सभी वर्ग के कृषकों को चुना जाना है, जिसमें 16% अनुसूचित जाति एवं 1% अनुसूचित जनजाति की सहभागिता आवश्यक होगी। प्रशिक्षुओं में महिला प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जानी है। सभी 30 प्रशिक्षुओं को आई० पी० एम० कीट उपलब्ध कराया जाना है तथा प्रत्येक एफ० एफ० एस० में 5 स्वीपनेट केवल टीम लीडर को कन्टीजेन्ट एक्सपेंडीचर मद की राशि से उपलब्ध कराया जायेगा।

• प्रत्येक एफ० एफ० एस० संचालन हेतु दो मास्टर ट्रेनर नियुक्त किये जायेंगे। प्रत्येक पूर्ण सत्रों (Season) के लिए 1500 रुपये की राशि मानदेय के रूप में उपलब्ध कराया जायगा। मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रत्येक एफ० एफ० एस० के लिए एक पौधा संरक्षण कर्मी और एक स्थानीय कृषि समन्वयक / किसान सलाहकार को प्रतिनियुक्त किया जायेगा। जिन्हें जिला स्तरीय दो सत्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक सत्र दो दिन का होगा। द्वितीय सत्र में On field demonstration के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन प्रशिक्षणों में कृषि विज्ञान केन्द्र / कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, कृषि पदाधिकारी एवं सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन प्रशिक्षकों को प्रत्येक सत्र के लिए मानदेय देय होगा।

P. J. Patil

• प्रत्येक प्रशिक्षु को मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण के लिए 450.00 रु० प्रतिदिन का दर अनुमान्य है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण का अयोजन जिलों के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किया जायेगा।

• अंतिम सत्र के बाद प्रशिक्षित कृषकों का प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षित कृषकों के साथ-साथ गैर आई० पी० एम० फिल्ड के कृषक एवं टाल विकास योजना में लाभान्वित कृषकों से विस्तृत चर्चा, विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षकों द्वारा की जायेगी। कार्यक्रम में भविष्य में सुधार के लिए किए गए सफल/असफल कदमों को अंकित किया जायेगा।

• आई० पी० एम० एवं गैर आई० पी० एम० क्षेत्रों में फसल कटनी जाँच किया जायेगा, जिससे तुलनात्मक उपज का अध्ययन किया जा सके।

10. खरपतवारनाशियों/फफूँदनाशियों एवं कीटनाशियों का अनुदान पर वितरण

• टाल क्षेत्र कटोरेनुमा होने के कारण वर्षा का पानी धीरे-धीरे हटता है साथ ही साथ सितम्बर-अक्टूबर के महीने में खरपतवार जैसे मोथा, बड़ी दुधी, छोटी दुधी, हजारा, अमरबेल के व्यापक समस्या हो जाती है। इनके फैलाव को प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रण हेतु दलहन बुआई के पहले विभिन्न खरपतवारनाशियों को उनके मूल्य के 50 प्रतिशत अधिकतम 500/-रुपये प्रति हे० की अनुदानित दर से कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा। इससे दलहन उत्पादकता में वृद्धि हो पायेगी।

• टाल क्षेत्र के दलहनी फसलों खासकर मुख्य फसलों में प्रायः उखड़ा रोग एवं जाला कीट, फलीछेदक कीट एवं अन्य से किसानों को काफी नुकसान होने की सम्भावना रहती है जिसके प्रबंधन के लिए 50% अनुदान अधिकतम 500 रु० प्रति हेक्टेयर पर फफूँदनाशी एवं कीटनाशी कृषकों को उपलब्ध कराया जायगा। फलतः दलहन उत्पादकता में काफी वृद्धि हो पायेगी।

• योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किया जायेगा, इसके नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

11. वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी हेतु बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:- (राशि लाख रु० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि	तत्काल निकासी योग्य राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या-01, उपशीर्ष- 0106- इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड- 01-2401001090106 विषय शीर्ष- 0106.27.01 लघु कार्य	166.00	74.60409	54.02138
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0106-इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड- 01-2401007890106 विषय शीर्ष-0106.27.01 लघु कार्य	32.00	14.38151	10.41376
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0134-इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड- 01-2401007960134 विषय शीर्ष- 0134.27.01 लघु कार्य	2.00	0.89884	0.65086
कुल	200.00	89.88444	65.086

Pratap

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 दिनांक 31.05.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या- 04/पौ0सं0सर्वे0-आ0वि0यो0-94/18-19 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-16/टि0 पर दिनांक 26.05.2018 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 04/पौ0सं0सर्वे0-टा0वि0यो0 94/2018-19 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 22/टि0 पर दिनांक 15.06.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

R. K. Singh
26.6.18

(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक.04/पौ0सं0सर्वे0-टा0वि0यो0 94/18-19 583 (जी० सं०) कृ० पटना दिनांक 29-06-2018
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एंव ह०), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. K. Singh
26.6.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक..04/पौ0सं0सर्वे0-टा0वि0यो0 94/18-19 583 (जी० सं०) कृ० पटना दिनांक 29-06-2018
प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग,(बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. K. Singh
26.6.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक..04/पौ0सं0सर्वे0-टा0वि0यो0 94/18-19 583 (जी० सं०) कृ० पटना दिनांक 29-06-2018
प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. K. Singh
26.6.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक..04/पौ0सं0सर्वे0-टा0वि0यो0 94/18-19 583 (जी० सं०) कृ० पटना दिनांक 29-06-2018
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

P. K. Singh

R. K. Singh
26.6.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक...04 / पौ0सं0सर्वे0-टा0वि0यो0 94 / 18-19 583 ए.०.०७/कृ० पटना दिनांक 29-०6-2018

प्रतिलिपि:- कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, पौधा संरक्षण/सभी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक के साथ ई-मेल करने हेतु प्रेषित ।

P. K. Patra

R. K. Singh
26.6.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

